न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 15/2018
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री डालूराम
2. कजोडमल पुत्र डालूराम
3. ग्यारसी लाल पुत्र डालू राम

समस्त निवासियान भैंसावा तहसील फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 21.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।
   ब) मुकेश कुमार यादव अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भैंसावा तहसील किशनगढ रेनवाल में स्थित खसरा नम्बर 557 किस्म जमीन गै0मु0 नाडी मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2011–29 में दर्ज रही है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2011–29 से नियमन सम्वत 2034 तक उक्त भूमि की किस्म गै.मु. नाडी रही है। सम्वत 2034 में जमाबन्दी ग्राम भैंसावा के खाता संख्या 104 में नायब तहसीलदार सांभरलेक की पत्रावली संख्या 136/76 के आदेश कमांक 8251 दिनांक 06.12.1976 नियमन आदेश के खसरा नम्बर 557 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. नाडी में खातेदार जमाबन्दी में विधि विरूद्व अंकित कर दिया गया है। उक्त नियमन शुदा भूमि खसरा न. 557 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै0मु. नाडी पर वर्तमान मे खातेदार लक्ष्मीनारायण कजोडमल ग्यारसीलाल पुत्र डालू जाति अहीर निवासी भैंसावा काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार जल स्त्रोता से संबंधित किस्म यथा नदी नाला तालाब अंगौर औरण पायतन आदि भूमियों का आंवटन अपवर्जित है। कि उक्त प्रकरण मं आवंटन आदेश से गैर खातेदारी दर्द करना एवं खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि विरूद्व है। इस प्रकार के आवंटन नियमन आदेश से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते है। माननीय राजस्व मण्डल के रैफरेन्स प्रकरण संख्या 5628/2006 एलआर/जयपुर उनवान राज्य सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण निर्णय दिनांक 28.06.13 के द्वारा सूक्ष्म परीक्षण कर रैफरेन्स प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किये जाने पर यह प्रकरण पुनः प्रस्तुत है। नियमन आदेश से दी गई खातेदारी निरस्त योग्य है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिए गए निर्णय दिनांक 02.08.2004 के पैरा संख्या 1 से 8 की पालना अर्न्तगत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के निदेशानुसार श्रीमान के समक्ष रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधि विरूद्व नामान्तरकरण को सेट असाईड कर पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित करने आदेश प्रदान करावें।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

उक्त प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर में विचाराधीन था, जिसकी प्रकरण संख्या 275/2005 निर्णय दिनांक 29.05.2006 पारित किया गया। निर्णयानुसार रेफरेन्स को माननीय राजस्व मण्डल में नियमानुसार प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 28.06.2013 द्वारा अस्वीकार करते हुए इस निर्देश के साथ लौटाया कि प्रकरण में किसी के द्वारा नामान्तरकरण एवं खातेदारी को निरस्त करने हेतु अनुरोध नहीं किया गया। अतः रेफरेन्स पुनः प्रतिप्रेषित किया गया।

प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार फुलेरा को राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 28.06.2013 की अनुपालना में पुनः परीक्षण कर यदि आवश्यक हो तो स्पष्ट राय के साथ मय संबंधित दस्तावेजात की प्रतियां नवीनतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने पत्रांक भू.अ./2017/3213 दिनांक 28.07.2017 द्वारा न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत किया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री मुकेश यादव अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। कई अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी/अधिवक्ता बहस हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार करने हेतु राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे।अप्रार्थी की ओर से बारम्बार आवाज लगाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं।

हम तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजी साक्ष्यों, पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2006 तथा उक्त निर्णय के सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत रेफरेन्स पर पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 का अवलोकन व मनन कर निम्नांकित निष्कर्षों पर पहुंचते हैं:–

1. तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत नियम विरूद्ध आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. अप्रार्थी को विवादित आराजीयात खसरा नंबर 557 किस्म गै0मु. नाडी रकबा 0.01 बिस्वा सिवायचक में से 1 बिस्वा भूमि कुंए हेतु राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुंआ खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के नियम 12ए के तहत नायब तहसीलदार सांभरलेक द्वारा दिनांक 06.12.1976 को आवंटित की गई।
3. नायब तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी को किया गया उक्त आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुंआ खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के नियम 4 (1) तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–16 का उल्लंघन है। चूंकि आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी होने के कारण प्रतिबंधित है।
4. प्रकरण रिमाण्ड होने पर अप्रार्थी द्वारा नोटिस सम्यक् रूप से प्राप्त होने तथा वकालतनामा पेश करने के बावजूद कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। साथ ही आदेशिका दिनांक 14.02.2022 से लगातार अनुपस्थित है।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

5. ऐसी स्थिति में हम अप्रार्थी को आवंटित भूमि तत्प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 4(1) के विरूद्ध होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 का उल्लंघन होने के कारण व माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 के विरूद्ध होने के कारण प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार करना न्यायोचित पाते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा पेश रेफरेन्स विवादित आराजीयात का आवंटन अप्रार्थी को नियमों के विरूद्ध होने के कारण स्वीकार करते हैं। तदानुसार प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स किया जाता है। पत्रावली आदेश की अतिरिक्त प्रति के साथ नियमानुसार रेफरेन्स हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 21-7-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर